

# कार्यालय नगर निगम, कोटा

प्रपत्र-2(ख)

## मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना वित्तीय स्वीकृति आदेश (नगर निकाय के उपयोग हेतु)

क्रमांक.....

दिनांक.....

बीपीएल सेन्सस-2003 में से राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित भौतिक लक्ष्यों एवं कार्यालय के पत्र क्रमांक:- 14409-17

दिनांक:- 08/01/2013 से आवास निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में निम्नानुसार लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय किशत की राशि हस्तान्तरण की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जारी है।

1. आवेदक को अपना आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।
2. बैंक में खाता खुलवाकर बैंक पास बुक की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
3. भूमि जिसमें आवास निर्माण/उन्नयन कराया जायेगा, उसके पट्टे की फोटो प्रतिलिपि देनी होगी।
4. भवन निर्माण उन्नयन हेतु राशि 50000 रुपये तथा शोचालय निर्माण के लिए पृथक से 5000रुपये की राशि देय होगी।
5. आवेदन पत्र का प्रपत्र साथ में संलग्न है।
6. पट्टा नहीं होने की स्थिति में आवास निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक:- 14409-17 के अनुसार निम्न पूर्ति करनी होगी।
7. मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (IHSDP) राजस्थान विशेष आवास योजना शहरी गरीबों को आधारभूत सेवा कार्यक्रम (BSDP) के अंतर्गत पट्टे की अनिवार्यता नहीं होगी बशर्ते लाभान्वित प्रतिबंधित भूमि यथा वन क्षेत्र, डूब क्षेत्र, नदी-नाले, आगोर, देवस्थान, रक्षा विभाग आदि की भूमि पर निवास नहीं कर रहा है। पट्टे के अभाव में लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से पास व्यक्ति/ परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज ग्राह्य मान माने जायेंगे।

- (i) मतदाता सूची में नाम।
- (ii) राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
- (iii) बिजली, पानी टेलीफोन आदि के बिल।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी से जारी पुराना पट्टा/विक्रय पत्र अथवा सत्यापित साइड प्लान जिसमें लाभान्वित का नाम एवं कब्जे शुदा भूमि का विवरण अंकित हो।
- (v) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय।
- (vi) कब्जेधारी को पूर्व में जारी कोई नोटिस/पत्र आदि की प्रति।

क्र.सं.	जोन	वार्ड संख्या	नयी वार्ड संख्या	लाभार्थी का नाम मय पिता/पति एवं पता			चयनित क्रमांक	वर्ग	बैंक का नाम मय शाखा	खाता सं.	स्वीकृत राशि	पूर्व में जारी की गई कुल राशि	हस्तान्तरित की जाने वाली प्रथम किशत की राशि			विशेष विवरण
													योजनान्तर्गत राशि	राज्य सरकार की अति. सहायता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	मुख्यालय	37	13	हेमलता	जगदीश	म.न. 104 केशवपुरा कोटा	100	GEN.			55,000	-	-	-	25,000	

2	मुख्यालय	37	13	बद्री लाल	पुरी लाल	म.न. एस 12 केशवपुरा कोटा	316	S.C			55,000	-	-	-	25,000
3	मुख्यालय	37	13	मोहनी बाई	रमेश	50 केशवपुरा सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती कोटा	317	S.C			55,000	-	-	-	25,000
4	मुख्यालय	37	13	मोहन लाल	कैवर लाल	24 केशवपुरा कोटा	318	S.C			55,000	-	-	-	25,000
5	मुख्यालय	37	13	गंगोल प्रसाद	गजानन्द	442 सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती केशवपुरा कोटा	646	S.C			55,000	-	-	-	25,000
6	मुख्यालय	37	13	यशोदा बाई	श्याम लाल	519 सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती केशवपुरा कोटा	663	S.C			55,000	-	-	-	25,000
7	मुख्यालय	37	13	कन्हैया लाल नामा	खेम चन्द नामा	21 सेक्टर नं.-6 केशवपुरा कोटा	694	O.B.C			55,000	-	-	-	25,000
8	मुख्यालय	37	13	बजरंग लाल	देवीलाल	576 सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती कोटा	967	S.C			55,000	-	-	-	25,000
9	मुख्यालय	37	13	मोहनी बाई	भगत सिंह	577 सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती कोटा	969	S.C			55,000	-	-	-	25,000
10	मुख्यालय	37	13	धनराज प्रजापत	प्रभुलाल	580 सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती कोटा	982	S.C			55,000	-	-	-	25,000
11	मुख्यालय	37	13	सत्यनारायण	नन्दलाल	628 सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती कोटा	1046	O.B.C			55,000	-	-	-	25,000
12	मुख्यालय	37	13	रामनिवास नागर	नन्दलाल	सन्तोषी नगर कच्ची बस्ती	1063	O.B.C			55,000	-	-	-	25,000
<b>कुल</b>											660,000				300,000

S.C	8	S.T	0	O.B.C	3	Gen	1	अल्पसंख्यक	0
-----	---	-----	---	-------	---	-----	---	------------	---

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
नगर निगम, कोटा

क्रमांक:-ननिको / रा.जो. / बीपीएल / 2012 / .....

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री..... माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र..... ।
2. श्री.....माननीय सांसद महोदय राज्यसभा..... ।
3. माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र..... ।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निकाय..... ।
5. पार्षद श्री.....वार्ड नं..... ।
6. प्रभारी अधिकारी (मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना) राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( RAVIL ) जयपुर ।
7. उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग..... ।
8. आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..... ।
9. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
नगर निगम, कोटा